**राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4665/2018

डॉ. राजू राम काला पुत्र श्री मानसिंह काला, निवासी 3/70, मानसर कॉलोनी, जोधपुर रोड नागौर राज.. ---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

4. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।

5. उप निदेशक/जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, आयुर्वेद विभाग, नागौर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री हनुमान सिंह

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री हिमांशु श्रीमाली

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**आदेश (मौखिक)**

**29/04/2024**

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.11.2017 (अनुलग्नक-9) के कार्यालय आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसे दिनांक 13.01.2003 के परिपत्र/प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है। उक्त कार्यालय आदेश को रद्द करने के लिए परिणामी राहत भी मांगी गई है।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-2.1 याचिकाकर्ता को आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था, शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को 6,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाना था। हालाँकि, दिनांक 13.01.2003 के परिपत्र के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि प्रारंभिक 2 वर्ष पूरे होने पर पारिश्रमिक में 20% की वृद्धि होगी। इसके अलावा, तीसरे वर्ष के पूरा होने पर, हर साल 10% वेतन वृद्धि होगी। याचिकाकर्ता को 13.01.2003 के परिपत्र के अनुसार सभी लाभ विधिवत प्रदान किए गए थे। इसी तरह की स्थिति वाले समकक्षों ने जयपुर बेंच में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एनआरएचएम योजना के तहत सेवारत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दिए जा रहे समान वेतन यानी 16,800 रुपये प्रति माह की मांग की। इस न्यायालय ने प्रतिवादियों को सभी संविदा कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने और बिना किसी भेदभाव के समान वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 19.03.2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार, अनुबंध के आधार पर नियुक्त सभी लोगों को 16,800 रुपये का भुगतान किया गया।

2.2 याचिकाकर्ता को 23.04.2013 से 16,800 रुपये का भुगतान भी किया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को मिलने वाले बकाया का भुगतान नहीं किया गया। व्यथित होकर, उन्होंने एक रिट याचिका (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11710/2015) दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसे खारिज किए जाने के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने एक अंतर-न्यायालय अपील (डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 1131/2015) दायर की, जिसमें विद्वान खंडपीठ ने दिनांक 21.11.2016 के आदेश के तहत अपील को स्वीकार किया और प्रतिवादियों को सभी संविदा कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने और उन्हें समान लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

2.3 प्रतिवादियों ने दिनांक 21.11.2016 के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने डीबी रिट अवमानना संख्या 356/2017 दायर की। अवमानना याचिका के नोटिस के बाद, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को 2,19,239/- रुपये का भुगतान किया। हालांकि, याचिकाकर्ता 13.01.2003 के परिपत्र के अनुसार 4,72,122/- रुपये पाने का

हकदार था, जो हर साल 10% वेतन वृद्धि प्रदान करता है। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के कुल बकाए को दर्शाने वाले चार्ट के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन प्रतिवादियों ने दिनांक 21.11.2017 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चार्ट के अनुसार अंतर राशि का बकाया नहीं बताया गया है।

2.3 प्रतिवादियों ने दिनांक 21.11.2016 के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने डीबी रिट अवमानना संख्या 356/2017 दायर की। अवमानना याचिका के नोटिस के बाद, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को 2,19,239/- रुपये का भुगतान किया। हालांकि, याचिकाकर्ता 13.01.2003 के परिपत्र के अनुसार 4,72,122/- रुपये पाने का हकदार था, जो हर साल 10% वेतन वृद्धि प्रदान करता है। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के कुल बकाया को दर्शाने वाले चार्ट के साथ अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, लेकिन प्रतिवादियों ने, दिनांक 21.11.2017 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चार्ट के अनुसार अंतर राशि का भुगतान इस न्यायालय के पहले के आदेश में भुगतान किए जाने का उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता ने अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए बकाया राशि प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को फिर से एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए वर्तमान रिट याचिका।

3. उत्तर में लिया गया रुख इस प्रकार है:-3.1 याचिकाकर्ता को वे सभी लाभ दिए गए हैं जिनके वह हकदार थे। इस प्रकार, दिनांक 13.01.2003 के परिपत्र का संदर्भ याचिकाकर्ता के मामले को कोई समर्थन नहीं देता है। इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता सहित संबंधित कर्मचारियों को लाभ दिया गया और याचिकाकर्ता सहित समान स्थिति वाले कर्मचारियों को 16,800/- रुपये का पारिश्रमिक दिया गया।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. इसमें शामिल विवाद दिनांक 13.01.2003 के परिपत्र की प्रयोज्यता के संबंध में है जो इस प्रकार है:

वित्त (नियम प्रभाग) विभाग

एफ-1(5)एफडी/नियम/2002 जयपुर, दिनांकः 13-01-2003

परिपत्र

विषयः- संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक।

सरकार ने हड़ताल, सूखे तथा अन्य आपात स्थितियों के दौरान विभिन्न विभागों में समेकित राशि के साथ संविदा पर व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति दी थी। सरकार ने पैरा-टीचर्स को देय पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए पहले ही नीति घोषित कर दी है। अब विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत अन्य व्यक्तियों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

उनके निर्धारित पारिश्रमिक में निम्नानुसार वृद्धि की जाएगीः-

1. दो वर्ष पूर्ण होने पर - पहले से स्वीकृत पारिश्रमिक में 20% की वृद्धि

2.तीसरा वर्ष पूर्ण होने पर तथा उसके पश्चात - प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि - वृद्धि के पश्चात कुल पारिश्रमिक समान कार्य/पद पर नियमित वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारी को देय न्यूनतम वेतन एवं भत्ते से अधिक नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त तरीके से वृद्धि लागू करने के लिए पिछली संविदा अवधि को गिना जाएगा, तथापि, कोई बकाया देय नहीं होगा।

उपर्युक्त वृद्धि केवल ऐसे कर्मचारियों को देय होगी, जिनकी सेवाएं वित्त विभाग के अनुमोदन से ली गई हैं तथा ऐसे व्यक्तियों को भी देय होगी, जो RAPSAR अधिनियम के पूर्व नियुक्त किए गए थे, किन्तु उनकी नियुक्ति RAPSAR अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित/विस्तारित की गई है।

यह वृद्धि केवल ऐसे व्यक्तियों को देय होगी, जिन्हें सरकारी विभागों एवं सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सीधे संविदा पर लिया गया है तथा ऐसे व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होगी, जिनकी सेवाएं किसी एजेंसी या सेवा ठेकेदार से ली गई हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(एम.डी. कौरानी)
अपर मुख्य सचिव, वित्त"

4. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि संविदा पर नियुक्ति के प्रथम दो वर्षों में विभाग ने जानबूझकर वेतन में कोई वृद्धि नहीं की, संभवतः कर्मचारियों की निष्ठा तथा भविष्य में आगे भी नियुक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को परखने के लिए तथा यह जांचने के लिए कि क्या उन्होंने अस्थायी व्यवस्था के रूप में संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसी संदर्भ में परिपत्र में कहा गया है कि नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्ण होने पर पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन दो वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सीधे 20% वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इसके पश्चात भी वृद्धि उसी वार्षिक आधार पर रखी गई है, अर्थात तीसरे वर्ष के पूर्ण होने पर तथा उसके पश्चात प्रतिवर्ष 10% वृद्धि की जाएगी।

5. लेकिन, 10% की दर से वार्षिक वृद्धि के लिए एक चेतावनी है, अर्थात पारिश्रमिक समान पद पर नियमित वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी को देय न्यूनतम वेतन और भत्ते से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. परिपत्र के जारी होने और उसके लागू होने पर कोई विवाद नहीं है। यह केवल इस बात की व्याख्या है कि क्या याचिकाकर्ता 3 वर्ष की सेवा के बाद अपने संविदागत वेतन में वृद्धि का हकदार है। ऊपर पुनरुत्पादित परिपत्र यह संकेत नहीं देता है कि प्रारंभिक दो वर्षों के बाद 10% वार्षिक वृद्धि संचयी रूप से या गैर-संचयी रूप से गणना की जाएगी। इस अस्पष्टता को देखते हुए, मैं इसकी व्याख्या को अपनाने के लिए इच्छुक हूं जो कर्मचारी के पक्ष में है और उसके लिए फायदेमंद है। दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि परिपत्र की इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक दो वर्षों के बाद, 10% वार्षिक वृद्धि संचयी रूप से गणना की जाएगी, इस सीमा के अधीन कि तीसरे वर्ष के बाद वृद्धि एक नियमित कर्मचारी के पारिश्रमिक से अधिक नहीं होगी।

7. इस आधार पर, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए किया

जाता है कि संविदा सेवाओं में तीसरा वर्ष पूरा करने के पश्चात, वार्षिक आधार पर 10% संचयी वृद्धि का लाभ याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाए, बशर्ते कि यदि यह वृद्धि नियमित कर्मचारी के पारिश्रमिक से अधिक हो, तो याचिकाकर्ता दोनों वेतनमानों में से कमतर वेतनमान का हकदार होगा।

8. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने पर 3 महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

9. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाएगा।

**(**अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।